यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस
मुकदमा संख्या :– 01 /2016
अनुवान मुकदमा –
सुखपाल सिंह पुत्र श्री बलराज सिह जाति जटसिख साकिन काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सहायक अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ।

अप्रार्थी–

उपस्थित :– 1. श्री मदनलाल परीक अधिवक्ता वादी ।
2. राज पेरोकार।

निर्णय दिनांक 29.12.2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

प्रार्थना पत्र सक्षेंप में इस प्रकार से है कि तहसील पीलीबंगा के चक 27 जे आर के पं. नं. 13/247 के कि. नं. 5,6,14,15,16,17,24,25 की 2.024 हेक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक 27 जेआरके सं. 2068 से 2071 सलग्न प्रार्थना पत्र है। तथा वर्णित भूमि के कि. नं. 5 में 0.051 हैक. व कि. नं. 6,15,16,25 प्रत्येक में 0.025 हेक. कुल 0.151 हैक. खाला दर्ज राजस्व अभिलेख है।तथा चक 27 जे आरके में जे आर के माईनर से पनी लगता है। जो पं. नं. 246 पर स्थित है। प्रार्थी की भूमि के उत्तर दि ा में पत्थर लाईन 247 पर खाला व नाके मन्जूर है। तथा प्रार्थी की भूमि के पूर्व दि ा में पत्थर लाईन 14 पर उत्तर से दक्षिण खाले व नाके मन्जूर हे। सम्स्त का तकार इन्ही खालों व नाको से अपनी भूमि में पानी लगाते है। प्रार्थी भी पत्थर लाईन 247 पर स्थित खाला से अपनी कृशि भूमि में सिचाई का पानी लगातार है। प्रार्थी की भूमि में दर्ज उत्तर से दक्षिण खाला की किसी को आव यकता नही है। नजरी नक ा चक 27 जे आर के अध्यक्ष जल उपभोक्ता संगम बीके –105 सलग्न प्रार्थना पत्र है। तथा प्रार्थी द्वारा इस खाला को निरस्त करवाने हेतू जल उपभोक्ता मंच अध्यक्ष बीके –105 व अधि ाशि अभियन्ता जल स ाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ जक ांन में भी प्रार्थना पत्र पे ा किया था जिसमें अध्यक्ष जल उपभोक्ता संगम द्वारा रिपोर्ट की गई कि मौका पर खाला न खुदा है व न ही चालू है। इस खाला को प्रार्थी का त कर रहा है। मौका पर जल मार्ग नक ा में दिखाया गया है वह पक्का बना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुआ है। मौका पर इन्ही से आवपासी हो रही है। कि. नं. 5,6,15,16,25 में जलमार्ग कटा हुआ है।उसकीन तो खुदाई हुई है। व न ही इसकी आव यकता है। श्रीमान सहायक अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ द्वारा भी दिनांक 30.12.2015 को यह रिपोर्ट तस्दीक की गई कि चक 27 जे आर के पं. नं. 13/247 कि. नं. 5,6,15,16,25 में रिकार्ड अनुसार जलमार्ग नही है। चित्रप्रति रिपोर्ट जल उपभोक्ता अध्यक्ष व असल प्रति रिपोर्ट सहायक अभियन्ता जल स ाांधन खण्ड हनुमानगढ दिनांक 30.12.2015 सलग्न प्रार्थना पत्र हैं। तथा प्रार्थी की भूमि में उत्तर से दक्षिण कि. नं. 5,6,15,16,25 में दर्ज खाला कभी भी चालू नही रहा है और न ही यह मौका पर खाला चल रहा है। इस खाला से कभी भी सिचाई सुविधा नही ली गई है और न ही यह यह कभी सिचाई हेतू उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी व अन्य समस्त का तकार नव ाा में वर्णित पत्थर लाईन 14 व 147 पर स्थित खाला से ही अपनी भूमि में सिचाई हेतू पानी लगा रहें है। व यही खाले पक्के बने हुए है।इस खाला की कियसी को आव यकता नही होने के कारण प्रार्थी इस खाला को निरस्त करवाना चाहता है। तथा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याया भुल्क पर अन्र मियाद है। प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र भापथ पत्र मय प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 27 जे आर के पं. नं. 14 13/247 के कि. नं. 5,6,15,16,25 में उत्तर से दक्षिण प्रत्येक में 0.025 हैक. कुल 0.125 हेक. खाला को निरस्त कर रकबा राज दर्ज किया जोवे। साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक 27 जे आर के बहक सुखपाल प्रमाणित चालू प्लान चक 27 जे आर के, प्रमाणित रिपोर्ट सहायक अभियन्ता एंव त. स. अधि ाशी अभियन्ता जल ससांधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ चित्रप्रति रिपार्ट अध्यक्ष जल उपभोकता संगम बी के 105 चित्रप्रति प्रार्थना पत्र सुखपाल सिह चित्रप्रति ब्यान कृपाल सिह प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार व लाईल्मी बताते हुए राज्यहित को सुरक्षित रखने हेतू निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबे के खाले को प्रार्थी निरस्त कर रकबाराज दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु अप्रार्थी सं. 2 सहायक अभियन्ता जल ससांधन खण्ड द्वितीय द्वारा प्रकरण में कोई सहमति नही दी गई है। मात्र एक सधारण कागज पर रिकार्ड अनूसार जल मार्ग नहीं है की प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में अ ामर्थ रहा है अतः काबिल खारीज होने के खरीज किया जाता है। निर्णय सूनाया गया।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official